प्रकरण संख्या 43/19 RCMS ID-2019/00189 ता0रजू 22.07.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

लक्खीराम बैरवा पुत्र घासीराम आयु 33 साल जाति बैरवा निवासी रानोली तहसील टोडाभीम जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 04.06.2019 जिसके द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है।

उपस्थिति–1 श्री नवलकिशोर शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी
2 श्री अमित कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, प्रतिनिधि रेस्पोण्डेण्ट

निर्णय

दिनांक 07.10.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी करौली, श्री अमित कुमार प्रवर्तन निरीक्षक व श्रीमती सुनीता मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 07.03.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच करने पर अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा अपनी राशन दुकान पर मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड का प्रदर्शन नहीं करना, स्टॉक संधारित नहीं करना, केरोसीन का स्टॉक पोसमशीन में अपडेट नहीं करना एवं 14.83 क्विं. गेंहूं, 209.15 किलोग्राम चीनी एवं 2059 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग करना पाये जाने पर आदेश दिनांक 04.06.2019 द्वारा अपीलार्थी का राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय जिला रसद अधिकारी करौली परवर्स आरवीट्रेररी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के विपरीत पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी महोदय करौली द्वारा अपने निर्णय में अपीलाण्ट की दुकान के बाहर मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड, एवं मोबाईल नम्बर का प्रदर्शन नहीं करना गलत निर्णीत किया है जबकि अपीलाण्ट की दुकान के बाहर उक्त तथ्यों का उचित रूप से स्पष्ट प्रदर्शन रहा है। निर्णय जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में अपीलाण्ट द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं करना व खादय सुरक्षा सूची चस्पा नहीं करना भी गलत निर्णीत किया है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने निर्णय में अपीलाण्ट के स्टॉक एवं भौतिक सत्यापन में सामग्री का अन्तर होना तथा 14.85 क्विंटल गेंहू व 2.09.15 क्विंटल चीनी कम पाया जाना व उक्त सामग्री का दुरूपयोग करना एवं 2059 लीटर केरोसीन कम पाया जाना भी पूर्णतः गलत एवं रिकार्ड एवं भौतिक स्थिति के विपरीत निर्णीत किया है और अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान नहीं किया है। कोई नोटिस अपीलाण्ट को प्राप्त नही हुआ है और अपीलार्थी पर व्यक्तिगत तामील नोटिस नही कराई गई तथा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है

जिला कलक्टर
करौली

जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं विधि के विपरीत है इस कारण अपील स्वीकार होने योग्य है। अपीलाण्ट गरीब व्यक्ति है और उक्त दुकान ही अपीलाण्ट व अपीलाण्ट के परिवार के भरण–पोषण का एकमात्र जरिया है अपीलाण्ट द्वारा कोई दुरूपयोग सामग्री का नही किया गया है इस कारण अपील स्वीकार होने योग्य है। प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.06.2019 को अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया जिसकी जानकारी दिनांक 10.06.2019 को होने पर उसी दिवस निर्णय की नकल के लिये आवेदन किया जो नकल दिनांक 13.06.2019 को प्राप्त हुई इस कारण दिनांक 04.06.2019 से 13.06.2019 की अवधि को अपवर्जित करने के पश्चात अपील अन्दर मियाद पेश की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी करौली व श्री अमित कुमार प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्रीमती सुनीता मीणा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 07.03.2019 को अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की गई। वक्त जांच अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान के बाहर मूल्य व स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड एवं मोबाइल नंबर का अंकन नहीं करना, अपीलार्थी द्वारा स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना, खाद्य सुरक्षा सूची का उचित मूल्य दुकान पर चस्पा नहीं करना आदि अनियमितताएं पाई गईं। कार्यालय रिकॉर्ड, ऑनलाइन वितरण के आधार पर ऑडिट किये जाने पर फरवरी 2019 के प्रारंभिक स्टॉक 2655 किलोग्राम गेंहूं एवं माह फरवरी 2019 की आमद 2300 किलोग्राम गेंहूं सहित कुल 4955 किलोग्राम गेंहूं में से 2845 किलोग्राम गेंहूं के वितरण उपरांत 2110 किलोग्राम गेंहूं शेष होना चाहिये था जबकि भौतिक सत्यापन पर 625 किलोग्राम गेंहूं पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.01.2018 के प्रारंभिक स्टॉक 60 किलोग्राम चीनी एवं दिनांक 01.01.2018 से वक्त जांच तक आमद 350 किलोग्राम चीनी सहित कुल 410 किलोग्राम चीनी में से 146 किलोग्राम चीनी के वितरण उपरांत 264 किलोग्राम चीनी शेष होना चाहिये थी जबकि भौतिक सत्यापन पर 54.85 किलोग्राम चीनी पायी गयी। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 के प्रारंभिक स्टॉक 00(शून्य) लीटर केरोसीन एवं दिनांक 01.10.2016 से वक्त जांच तक आमद 5900 लीटर केरोसीन सहित कुल 5900 लीटर केरोसीन में से 3481 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत 2059 लीटर केरोसीन शेष होना चाहिये था जबकि भौतिक सत्यापन पर 00(शून्य) लीटर केरोसीन पाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर 1485 किलोग्राम गेंहूं, 209.15 किलोग्राम चीनी व 2059 लीटर केरोसीन कम पाया गया जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा नहीं पाया गया, तराजू एवं बांट पाये गये। मौके पर बनाये गये निरीक्षण प्रपत्र पर अपीलार्थी राशन डीलर के हस्ताक्षर हैं जो उक्त तथ्यों को प्रमाणित करते हैं एवं अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित किये गये तथ्यों को गलत साबित करते हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दिये गये पूछताछ बयानों में भी अपीलार्थी द्वारा उसी दुकान पर उक्त उपलब्ध स्टॉक का होना ही बताया है कोई अन्य गोदाम या दुकान एवं अन्यत्र राशन सामग्री का भण्डारण नहीं होना बताया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान का जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम दिनांक 07.03.2019 को जांच करने पर अपीलार्थी की दुकान के बाहर मूल्य व स्टॉक सूची तथा मोबाइल नंबर का प्रदर्शन नहीं किया जाना, खाद्य सुरक्षा की ई–सूची का दुकान के बाहर प्रदर्शन नहीं करना, वक्त जांच भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 625 किलोग्राम गेंहूं, 54.85 किलोग्राम चीनी व 00(शून्य) लीटर केरोसीन का पाया जाना अपीलार्थी के द्वारा स्वीकार किये गये तथ्य हैं जो मौके

जिला कलक्टर
करौली

पर बनाये गये निरीक्षण प्रपत्र पर हस्ताक्षर व पूछताछ बयानों में दिये गये लिखित बयान से स्पष्ट हैं। कार्यालय रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन वितरण के आधार पर ऑडिट किये जाने पर माह फरवरी 19 का प्रारंभिक स्टॉक 2655 किलोग्राम गेंहूं व माह फरवरी की आमद 2300 किलोग्राम गेंहूं सहित कुल 4955 किलोग्राम गेंहूं में से 2845 किलोग्राम गेंहूं के वितरण उपरांत 2110 किलोग्राम गेंहूं शेष होना चाहिये था। इसी प्रकार दिनांक 01.01.2018 के प्रारंभिक स्टॉक 60 किलोग्राम चीनी एवं दिनांक 01.01.2018 से वक्त जांच तक आमद 350 किलोग्राम चीनी सहित कुल 410 किलोग्राम चीनी में से 146 किलोग्राम चीनी के वितरण उपरांत 264 किलोग्राम चीनी शेष होना चाहिये थी। इसी प्रकार दिनांक 01.10.2016 के प्रारंभिक स्टॉक 00(शून्य) लीटर केरोसीन एवं दिनांक 01. 10.2016 से वक्त जांच तक आमद 5900 लीटर केरोसीन सहित कुल 5900 लीटर केरोसीन में से 3481 लीटर केरोसीन के वितरण उपरांत 2059 लीटर केरोसीन शेष होना चाहिये था। इस प्रकार अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान पर 1485 किलोग्राम गेंहूं, 209.15 किलोग्राम चीनी व 2059 लीटर केरोसीन कम पाया गया जिसका अपीलार्थी राशन डीलर द्वारा दुरुपयोग किया गया है। अतः हम प्रतिनिधि प्रत्यर्थी के कथनों से सहमत हैं एवं अपील अपीलाण्ट को खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, करौली का निर्णय दिनांक 04.06.2019 यथावत् रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी, करौली को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी राशन डीलर के पास कम पायी गई राशन सामग्री के संबंध में नियमानुसार वसूली की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

7/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली